

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेस नोट

दिनांक—26.08.2016

गंगा नदी के बढ़े हुए जल स्तर एवं तेज जल प्रवाह के कारण गंगा नदी के किनारे अवस्थित सभी जिलों में कमोवेश बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। पटना, वैशाली, भोजपुर एवं सारण जिला के दियारा क्षेत्र बाढ़ से अधिक प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से प्रभावित सभी जिलों में राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। प्रभावित लोगों को एन0डी0आर0एफ0 एवं एस0डी0आर0एफ0 के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ग्रस्त/ दियारा क्षेत्रों से सुरक्षित निकालकर राहत कैम्पों में लाया जा रहा है, जहाँ उनके लिए पका हुआ भोजन, पीने का पानी, महिला एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग शोचालय, स्वास्थ्य जाँच, जरूरी दवाएँ, साफ-सफाई एवं प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है।

1. प्रभावित जिलो का नाम एवं संख्या — कुल जिले 12 हैं। बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर एवं कटिहार
2. प्रभावित प्रखण्डों की संख्या — 74
3. प्रभावित पंचायतों की संख्या — 553
4. प्रभावित गांवों की संख्या — 2018
5. प्रभावित जनसंख्या — 32.51 लाख मनुष्य, 2.54 पशु
6. निष्क्रमित आबादी — 4.16 लाख
7. प्रभावित क्षेत्रफल— आकलन किया जा रहा है।
8. प्रभावित फसलों का रकवा — आकलन किया जा रहा है।
9. फसल क्षति का अनुमानित मूल्य— आकलन किया जा रहा है।
10. बाढ़ से मृत व्यक्तियों की संख्या — 51 (भोजपुर-13, वैशाली-7, भागलपुर-2, बक्सर-1, लखीसराय-3, समस्तीपुर-8, खगड़िया-3, सारण-5, मुंगेर-1, बेगूसराय-7, पटना-1)
11. बाढ़ से मृत पशु की संख्या — 34
12. गृह क्षति (अबतक प्राप्त सूचनानुसार) — (i) पक्का— आंशिक-04 पूर्ण-शून्य
(ii) कच्चा— आंशिक-227 पूर्ण-30
(iii) झोपड़ी— 249
13. क्षतिग्रस्त गृहों का अनुमानित मूल्य — आकलन किया जा रहा है।
14. क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य — आकलन किया जा रहा है।
15. परिचालित नावों की संख्या — 2516
16. चलाए जा रहे राहत कैम्पों की संख्या — 518

17.	शिविरों में रह रहे लोगों की संख्या –	2.05 लाख
18.	चिकित्सा दलों की संख्या –	270
19.	पशु शिविरों की संख्या –	108
20.	अबतक प्राप्त सूचनानुसार सूखा राहत वितरण का विवरण—	
		चूड़ा—6105 क्वी०, गूड़—1072 क्वी०, सत्तु—111क्वी०, दीया— सलाई—82822 पैकेट, मोमवत्ती—89076 पैकेट, पॉलिथिन शीट्स—48629 एवं ड्राई फूड पैकेट—243959

जल संसाधन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार नदियाँ, जो खतरे के निशान से उपर बह रही है, वे हैं:— गंगा—बक्सर में (DL 62.32, AL 61.26) दीघा घाट (पटना) में (DL 50.45, AL 51.58), गांधी घाट (पटना) में (DL 48.60, AL 50.01), हाथीदह, (पटना) में (DL 41.76, AL 43.07), मुंगेर में (DL 39.33, AL 40.07), भागलपुर में (DL 33.68, AL 34.71), कहलगांव (भागलपुर) में (DL 31.09, AL 32.78), सोन मनेर पटना में (DL 52.00, AL 53.14), पुनपुन श्रीपालपुर पटना में (DL 50.60, AL 52.75), बुढ़ी गंडक (खगड़िया) में (DL 36.58, AL 38.74), कोसी—कुरसेला (कटिहार) में (DL 30.00, AL 31.46), शेष सभी नदियाँ खतरे के निशान से नीचे बह रही है।

बाढ़ प्रभावितों को त्वरित राहत पहुंचाने हेतु सभी जिला पदाधिकारियों को निम्नलिखित निदेश दिए गए हैं:—

1. जहाँ बाढ़ से घिरे इलाके के लोग प्रशासन के प्रयासों के बावजूद किसी कारणवश राहत शिविरों में नहीं आर रहे हैं, उनके लिए प्रभावित क्षेत्र के ही किसी ऊँचे स्थान पर सामूहिक किचेन (Community Kitchen) चलाया जाए।

2. बाढ़ से डूबे गाँव जहाँ लोग घरों के छतो आदि पर शरण लिए हुए हैं एवं राहत शिविरों में नहीं आना चाहते हैं, उनके लिए गाँव के निकट ही किसी उपयुक्त स्थल पर लंगर चलाया जाए, वहाँ से उन्हें नाव के माध्यम से लंगर स्थल तक ला कर सुवह 9—10 बजे के आस—पास दिन का भोजन करा कर नाव द्वारा उन्हें घर भेज दिया जाए तथा रात का भोजन शाम में ही कराकर अंधेरा होने के पहले नाव के द्वारा घर भेज दिया जाए।

3. जो लोग उपर्युक्त दोनो व्यवस्थाओं का लाभ ले पाने की स्थिति में नहीं हैं उन्हें सूखा राशन के रूप में चूड़ा/ गूड़/ सत्तु देने के बजाय फूड पैकेट में भोजन सामग्री दी जाए, जिसमें 5 किलो चावल, एक किलो दाल, 2 किलो आलु एवं नमक तथा हल्दी का छोटा पैकेट रहेगा।

4. यह भी निदेश दिया गया कि चूँकि बाढ़ का पानी कम हो रहा है, अतएव जितना शीघ्र हो सके उतनी शीघ्रता से बाढ़ प्रभावित परिवारों को मुफ्त साहाय्य अन्तर्गत अनुमान्य साहाय्य उपलब्ध कराया जाए।

बाढ़ राहत शिविर में रह रहे बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए निम्नांकित अतिरिक्त सुविधाएँ मुख्य मंत्री राहत कोष से देने का निर्णय लिया गया।

1. सभी पंजीकृत वयस्क विस्थापितों को खाने के लिए स्टील की थाली, कटोरा, लोटा एवं गिलास दिया जाएगा, जिसका उपयोग राहत केन्द्रों में आवासन के दौरान तो करेंगे ही राहत केन्द्रों से अपने घरों को लौटने के समय उन्हें लेते जाएंगे। इसी प्रकार बच्चों को भी स्टील की छोटी थाली (छिपली), कटोरा, ग्लास उपलब्ध कराया जाएगा। जिन राहत केन्द्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं, उनमें बच्चों को दिया जाने वाला पोषाहार भी छाटी थाली/ कटोरे में दिया जाएगा।

2. सभी पंजीकृत पुरुषों को लूंगी/ धोती, गंजी, गमछा तथा महिलाओं को साड़ी, साया, ब्लाउज तथा बच्चों को निकर/ टी-शर्ट तथा बच्चियों को यथानुसार चड्डी/ स्कर्ट/ फ्रॉक भी दिया जाएगा।

3. सभी पंजीकृत विस्थापित परिवारों को नहाने एवं कपड़ा धोने का साबुन, सुंगधित केश तेल, कंधी एवं छोटा ऐनक तथा महिलाओं को आवश्यकतानुसार सेनेट्री नैपकीन भी दिया जाएगा।

4. आबादी के निष्क्रमण के दौरान गर्भवती महिलाओं को निष्क्रमित किए जाने के क्रम में यदि बच्चे का जन्म यदि नाव अथवा राहत शिविर अथवा अस्पताल में होता है तो नवजात लड़की के लिए 15000/- रू० एवं नवजात लड़की के लिए 10000/- रू० भुगतान किया जाएगा।